महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई समाचार पत्र (मासिक)– चौवालीसवां संस्करण (माह जून, 2019)

➔"पहल" के इस संस्करण में .....

1. *अपनी बात ....*
2. *आरजीएसए अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों एवं स्व–सहायता समूहों का प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्धन कार्यशाला*
3. *विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस में दिए*
4. *गए निर्देश*
5. *प्रीति एवं मीना अब बन गई सर्टिफाइड राजमिस्त्री.....*
6. *कपिलधारा कूप गरीब किसान के लिये बना वरदान*
7. *"परेशानियों का सामना करते हुये पायी सफलता" श्रीमती मिथलेश द्विवेदी, सरपंच*
8. *नशामुक्त समाज बनाने में पंचायतों की भूमिका*

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्रीमती गौरी सिंह (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का चौवालीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2019 का द्वितीय मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में माननीय मुख्यमंत्री, श्री कमलनाथ जी के सानिध्य में आयोजित **''राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों एवं स्व–सहायता समूहों का प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्धन कार्यशाला''** को समाचार आलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही **''प्रीति एवं मीना अब बन गई सर्टिफाइड राजमिस्त्री.....''**, **''कपिलधारा कूप गरीब किसान के लिये बना वरदान''**, **''परेशानियों का सामना करते हुये पायी सफलता'' श्रीमती मिथलेश द्विवेदी सरपंच''**, **''नशामुक्त समाज बनाने में पंचायतों की भूमिका''**, आदि विभिन्न विषयों पर भी आलेखों को इस संस्करण में शामिल किया गया है।

इसके अलावा अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 30 मई 2019 में दिये गये निर्देशों को प्रस्तुत किया गया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों एवं स्व–सहायता समूहों का प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्धन कार्यशाला

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों एवं स्व–सहायता समूहों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन दिनांक 2 फरवरी 2019 को किया गया ।

मुख्यमंत्री, माननीय श्री कमल नाथ जी ने उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्व–सहायता समूहों को संबोधित किया।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन एवं पंचायिका विशेषांक का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम में माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा भी पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्व–सहायता समूहों से चर्चा की गई तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रीमती गौरी सिंह भी इस मौके पर उपस्थित रही।

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 30.05.2019 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. बीटी रोड (ग्रायांसे)

1.1 कार्यपालन यांत्रियों को एक सप्ताह में सभी चयनित मार्गो की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए गए। जिन सड़कों में निजी भूमि अथवा वन भूमि है उन सड़कों को इस चरण में शामिल नहीं किया जाए। वन विभाग से एनओसी एवं निजी भूमि के दानपत्र उपरांत इन सड़कों को शामिल करने की कार्यवाही की जाए।

1.2 जिलों में सड़कों का चयन आवंटित मनरेगा के लेबर बजट को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

1.3 कार्यो की तकनीकी स्वीकृति मनरेगा के अभिसरण से (70 प्रतिशत मनरेगा एवं 30 प्रतिशत अन्य मद) सक्षम प्राधिकारी के द्वारा दी जावे।

1.4 जिन जिलों में विवादित रोड की स्थिति बन रही हो, वहां प्रकरण कलेक्टर के संज्ञान में लाकर निराकरण करायें।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

2.1 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत विगत तीन वर्षो में 90 हजार से भी अधिक आवास शेष हैं। इनका विश्लेक्षण करने पर पाया गया कि 38 हजार आवासों में तृतीय किश्त जारी की जा चुकी है। सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि इनका हितग्राहीवार विश्लेषण कर आगामी 10 दिवस में इन्हे पूर्ण कराये।

2.2 राजमिस्त्री प्रशिक्षण जिन जनपदों में प्रारंभ नहीं हो पाया है वे आगामी वी.सी के पूर्व प्रारंभ करेंगे। राजमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु एमजीएसआईआरडी जबलपुर एवं ईटीसी के नोडल अधिकारी तथा कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सुनिश्चित करेगें कि सभी जनपदों में प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाए एवं प्रशिक्षुओं को नियमित भुगतान किया जावे।

2.3 सभी कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सह सुनिशिचित करेगें कि आवास के अन्तर्गत निर्माण होने वाला रसोईघर हवादार हो, रसोईघर में खिड़की तथा Ventilation की समुचित व्यवस्था हो।

2.4 आवास साफट में जनपद पंचायत की लॉगिन पर दो नये ऑपशन उपलब्ध कराये गये है–

1- Engineers, ADEO/PCO Management

2- SECC Verification (Beta Version)

सुनिश्चित करें कि दोनों ही ऑपशन में फिडिंग शीघ्रता से पूर्ण कर लिया जाए।

3. नदी पुनर्जीवन

3.1 नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम अंतर्गत सरप्लस रनआफ की अधिक से अधिक मात्रा को संचित करने के लिए Intensive Mode में सतही जल संग्रहण और भू–जल संवर्धन कार्यो का पर्याप्त संख्या/मात्रा में चयन एवं क्रियान्वयन से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। वनक्षेत्रों में भी जल संरक्षण एवं संवर्धन के आवश्यक कार्यो को चयनित कर डी.पी.आर में शामिल करने हेतु वन मण्डल अधिकारी से समन्वय किया जाए।

3.2 नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक जिले की डी.पी.आर हेतु गूगल शीट अपलोड की जा चुकी है। इसे नियमित अपडेट किया जाए ताकि राज्य स्तर से डी.पी.आर की मॉनिटरिंग हो सके।

3.3 नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम हेतु स्वीकृत तथा प्रारंभ कार्यो की संख्या अत्यंत कम है। अतः चयनित किये जा रहे कार्यो की अविलंब स्वीकृति जारी करा कर क्रियान्वयन भी प्रारंभ करे और मानसून के पूर्व इन कार्यो को पूर्ण कराएं। चयनित कार्यो के गुणवत्ता पूर्ण और

परिणाममूलक कियान्वयन के लिए कार्यपालन यंत्री तथा सहायक यंत्री नियमित फील्ड पर जाकर मॉनिटरिंग करें।

3.4 नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम हेतु कार्यो की स्वीकृति RFR कोड के साथ जारी कराएं ताकि इन कार्यो की पृथक से मॉनिटरिंग की जा सके।

3.5 नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम अंतर्गत जिलों को Hand Holding Support हेतु राज्य स्तर से "विशेषज्ञ सह–प्रेक्षक" मनरेगा परिषद के आदेश क्र. 1197/एनआरईजीएस दिनांक 23 मई 2019 द्वारा नियुक्त किये गये है। यह विशेषज्ञ चयनित नदी के कैचमेंट में भ्रमण कर नदी पुनर्जीवन के कार्य का गहन अनुश्रवण करेंगे। अनुश्रवण के आधार पर वे पायी गई कमियो और निराकरण के लिए सलाह देकर आवश्यक सुधार करायेगे। अतः तकनीकी दल और रिसोर्स टीम को इन राज्य स्तरीय विशेषज्ञ सह–प्रेक्षक के जिले में भ्रमण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भी इनसे विचार विमर्श करें और नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के संबंध में इनके Observations व सुझावों पर विचार विमर्श कर सुधारात्मक कार्यवाही कराए।

4. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

4.1 माह अप्रैल 2019 की शिकायतों का संतुष्ठी पूर्ण निराकरण न किये जाने के कारण भिंड, सीहोर, इंदौर, बड़वानी एवं रायसेन ग्रेडिंग में क्रमशः "D" एवं "C" ग्रेड हुआ है। समस्त जिले अधिक से अधिक शिकायतों का संतुष्टी पूर्ण निराकरण कराते हुए "अ" ग्रेड लाना सुनिश्चित करे।

4.2 विभाग की लगभग 3500 से अधिक शिकायते 500 दिवस से भी अधिक समय से लंबित है। अतः आगामी वी.सी के पूर्व 500 दिवस की सभी शिकायतों का समुचित निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

4.3 विभाग की लगभग 1019 से अधिक शिकायतें कार्यक्षेत्र से बाहर की गयी जा रही है जिनमें अधिकांश शिकायते ऐसी है जिन्हे दो या दो से अधिक बार बाहर किया गया। साथ ही कुछ शिकायते वर्ष 2018 की हैं जिन्हे निरंतर कार्यक्षेत्र से बाहर किया जा रहा है। अतः शिकायत को पूर्ण परीक्षण के उपरांत ही विवरण सहित टीप के साथ कार्यक्षेत्र से बाहर किया जावे।

4.4 विभाग की लगभग 2500 से 3000 शिकायतों में प्रतिमाह बिना निराकरण उच्च स्तर पर अग्रेषित ही रही है। अतः समय सीमा में निराकरण दर्ज न करने वाले अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए लेवल–1 स्तर पर सीईओ जनपद एवं लेवल–2 तथा लेवल–3 स्तर पर जिले के योजना प्रभारी की जबाबदारी सुनिश्चित करें।

5. स्वच्छ भारत मिशन

5.1 जिन जिलों में LOBs शौचालयों का निर्माण कार्य शेष है वे समस्त जिले जून माह के अंत तक शत–प्रतिशत LOBs शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण करेंगे।

5.2 आईएमआईएस में LOBs के रुप में दर्ज त्रुटिपूर्ण हितग्राही जिन्हे विलोपित किया जाना है, कि सूची जिले राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन को उपलब्ध कराएंगे। राज्य कार्यक्रम अधिकारी भारत सरकार से समन्वय कर उक्त त्रुटिपूर्ण हितग्राहियों को आईएमआईएस से विलोपित कराएंगे।

6. पंचायतराज

6.1 वर्ष 2020 में पंचायतों के निर्वाचन की तैयारी हेतु जिले अपने यहां एक निर्वाचन प्रकोष्ठ का गठन करें तथा इस संबंध में राज्य शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशों का समय सीमा में पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रीति एवं मीना अब बन गई सर्टिफाइड राजमिस्त्री.....

उमरिया जिले की पेसा क्षेत्र अंर्तगत मुगवानी पंचायत की प्रीति कोल एवं मीना काल पहले गारा उठाया करती थी पर अब उन्होने भी राजमिस्त्री का काम सीख लिया है और ईट जोड़ने लगी है। सिर्फ प्रीति एवं मीना ही नहीं ग्रांम पंचायत मुगवानी की कई महिलाओं ने यह काम सीख लिया है।

सामान्य तौर पर महिलाओं को निर्माण कार्यो में राजमिस्त्री के सहायक के रूप में काम करते तो देखा जा सकता है, किंतु महिलाएं स्वयं राजमिस्त्री का दायित्व निभा रही हों ऐसा कम ही देखा जाता है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास निर्माण के कार्य को देखते महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, अधारताल जबलपुर सर्टीफाइड डिमान्सट्रेटर द्वारा स्व–सहायता समूह की महिलाओं को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय लिया और इसमें सफलता भी मिली।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिले की मानपुर जनपद पंचायत को ग्राम पंचायत मुगवानी में इन 42 महिलाओं को 45 दिन का राज मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 250 रू. प्रतिदिन के मान से स्टायपेंड भी दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान ही इन प्रशिक्षु महिलाओं में आत्मविश्वास बढने लगा था, अब ये महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर एक कुशल राजमिस्त्री की तरह अपनी सेवाएं दे रही हैं। मकान की नींव भरने से लेकर दीवार की जुड़ाई लेंटर डालने,छत निर्माण, डिजाइन आदि का कार्य वे सहजता से कर लेती हैं। इतना ही मकान में लगने वाले लोहे की कटाई आदि का कार्य भी वे स्वयं संपन्न करती हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात राजमिस्त्री सुनीता ने बनाया कि उसने फ्लेमिसवाल पद्वति से मकान की जुडाई का कार्य सीखा है। अब ये सभी 45 महिलाएं आत्मविश्वास से लवरेज हैं।

सुरेन्द्र प्रजापति
संकाय सदस्य

कपिलधारा कूप गरीब किसान के लिये बना वरदान

जिला सिवनी के अन्तर्गत जनपद पंचायत केवलारी के ग्राम खामी ग्राम पंचायत खामी के गरीब किसान श्री यादोराव/यशवंत राय जिसके पास 3 एकड असिंचित भूमि थी जिसमें पानी के साधन न होने के कारण अपने परिवार का गुजर बसर करना दूभर था ऐसे में ग्राम पंचायत खामी के श्री सोमेन्द्र क्षीर सागर ग्राम रोजगार सहायक एवं श्रीमति पूर्ति बिजोरिया अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा जनपद पंचायत केवलारी में कृषक को कपिल धारा कूप हेतु ग्राम सभा में आवेदन देकर कार्यवाही हेतु समझाइश दी गई किसान ने अपने घर के सदस्यों से विचार विमर्श कर विधिवत आवेदन ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2017–18 के वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कपिल धारा कूप निर्माण हेतु 2 लाख रूपये स्वीकृत किये गये तत्पश्चात कार्य प्रांरभ किया गया कपिल धारा कूप में पानी आ जाने एवं पूर्ण निर्माण होने के पश्चात किसान यादोराव के चहरे में खुशी की लहर दौड गई क्योंकि असिंचित कृषि भूमि को कपिल धारा कूप में सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दिया कपिल धारा कूप निर्माण के पहले किसान यादोराव बरसाती पानी का उपयोग करता था। जिससे उसके जीवन में आर्थिक कठिनाईयां आती थी कपिल धारा कूप बनने के बाद गेहूं धान सब्जियां लगा कर एवं एक एकड भूमि ठेके में लेकर अपनी आय में वृद्धि किया आज यादोराव खर्च निकाल कर ढाई से तीन लाख रूपये की बचत कर रहा है। एक समय में अपने परिवार का वमुश्किल से गुजारा करने वाला किसान यादोराव का मानना है कि मनरेगा के अंर्तगत कपिल धारा कूप ने उसके जीवन में बदलाव लाया निश्चय ही मनरेगा किसान के लिये एक सफल योजना है।

सी.के. चौबे
संकाय सदस्य

परेशानियों का सामना करते हुए पायी सफलता
श्रीमती मिथलेश द्विवेदी, सरपंच

महिला सरपंचों के प्रशिक्षण के दौरान जिला कटनी की जनपद पंचायत बहोरीबंद ग्राम पंचायत खिरहनी की सरपंच श्रीमती मिथलेश द्विवेदी अपने सरपंच बनने के बाद के अनुभव बताये। श्रीमती द्विवेदी के द्वारा बताये गये अनुभवों के आधार पर ही हमने ''परेशानियों का सामना करते हुये पायी सफलता'' का प्रसंग लिखा है। आईये अब आगे पढ़ते हैं उनकी कहानी उनकी ही जुबानी।

मेरा नाम श्रीमती मिथलेश द्विवेदी है और मैं इस समय मध्यप्रदेश के जिला कटनी की जनपद पंचायत बहोरीबंद की एक ग्राम पंचायत खिरहनी की सरपंच हूॅ। मेरी उम्र लगभग 32 वर्ष की है और मैंने कक्षा बारहवीं तक की पढ़ाई की है।

स्व–सहायता समूह के साथ सामंजस्य

हमारी ग्राम पंचायत में स्व–सहायता समूहों के बीच सामंजस्य बना कर कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में 6 स्व–सहायता समूह चल रहे हैं। समूहों की दीदियों द्वारा नियमित रूप से बचत की जाती है। आजीविका मिशन ने जैसा बताया और सिखाया है वैसे ही दीदियां अपनी–अपनी बैठकें नियमित रूप से करती हैं। समूह की दीदियों द्वारा स्व–सहायता समूह के तेरह सूत्रों का पालन किया जाता है।

विशेष अवसरों पर हम भी स्व–सहायता की बैठकों में जाती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा समूह की सदस्यों के लिए जरूरी प्रशिक्षण आयोजित कराये जाते हैं। मैं स्व–सहायता समूहों की बैठकों में जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करती हूॅ और जहां भी मदद की जरूरत होती है वहां पर पूरी ग्राम पंचायत स्व–सहायता समूह की दीदियों का साथ देती है।

आंगनवाड़ी केन्द्र

हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में आंगनवाड़ी के 5 सेन्टर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चल रहे हैं। ये सभी आंगनवाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं और प्राथमिक शालाओं के भवनों में संचालित हो रहे हैं। हमने आंगनवाड़ी भवन बनवाने के प्रस्ताव दिये थे। जिनमें से ग्राम भीटा, अचलोनी एवं छपरी में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन की स्वीकृति मिली है। यहां पर भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। ग्राम पौड़ी एवं पोनिया में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन बनाने का प्रस्ताव ग्राम सभा से भेजा गया है जिनकी स्वीकृति नहीं मिली है।

समग्र स्वच्छता मिशन

मेरी ग्राम पंचायत में 06 महिला वार्ड पंच और 06 पुरुष पंच के साथ अप्रैल 2015 में कार्यकाल शुरू होते ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर मे शौचालय बनाने की मुहिम चालू की जिसमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना हुआ लेकिन अपने ग्राम को खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता मिली और 459 शौचालय निर्माण किये।

हमने जगह जगह चौपाल लगाए, बच्चों की रैली और निगरानी समिति के सदस्यों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से पूरे ग्राम में शौचालय का उपयोग का लाभ के संबंध में बताया गया और शौचालय बनवाने हेतु प्रेरित किया। खुले में शौच नही करना इस हेतु सभी तरीके से जागरूक किया, मॉर्निंग फॉलोअप और इवनिंग फॉलोअप करके लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। आज की स्थिति में लगभग पूरा ग्राम शौचालय का उपयोग कर रहे हैं।

समग्र स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी ग्रामों को खुल में शौच प्रथा से मुक्त करवाये जाने का सफल प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप वे सभी ग्राम ओडीएफ हो गये हैं। हमारी ग्राम पंचायत में 160 व्यक्गित शौचालय बनवाये गये हैं। स्वच्छता को बनाये रखने के लिए हमारी ग्राम पंचायत में स्वच्छताकर्मी को नियुक्त किया गया है। सफाई कर्मी प्रतिदिन सड़कों और नालियों की साफ–सफाई करते हैं।

उज्जवला योजना

उज्जवला योजना के अन्तर्गत हमारी ग्राम पंचायत में शत्–प्रतिशत अति गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्रहियों जो कि 205 हैं। इन्हें गैस कनेक्शन दिये गये हैं। अब हम इस योजना में जो हितग्राही छूट गये हैं उन्हें गैस कनेक्शन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।

देवस्थानों पर विकास कार्य

मेरे ग्राम के चारो कोने में धार्मिक स्थान हैं जहाँ सी सी रोड नही थी। जिससे घरों का गंदा पानी रोड में भरा रहता था विशेष रूप से त्यौहार में देवी देवालय जाने में बहुत अधिक कीचड़ हो जाता था। फिर हमने

सबसे पहले ग्राम के देव स्थान जाने के लिए सी सी रोड बनाये और ग्राम के रास्तों में फैली गंदगी से निजात मिली और पूरे ग्राम में छोटी सकरी सभी रोड बनने से चारो ओर साफ सफाई दिखने लगी है। छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं तो रोड में साफ सफाई होने से रोड में ही खेलते दिखते हैं, सभी धार्मिक स्थान में भी सुंदरता हो गई है। अब तो इतना अच्छा लगता है कि हमारे गांव में इन्हीं देवस्थानों पर शाम को हम सब महिला रामायण मंडल में रामचरित मानस का गायन करती है।

सभी धार्मिक स्थानों पर छतरी निर्माण कराया है जैसे जगदीश स्वामी मंदिर प्रांगण में और आसमानी माता जी के स्थल पर, बाबा हरिदास का बंगला, महाकाली माता मंदिर में, और हरिजन मुहल्ले में 02 छतरी निर्माण करवा रही हूँ। लगभग पूरे ग्राम में सभी को गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिलवाए हैं।

नलजल योजना खिरहनी

हमारी ग्राम पंचायत में की सबसे बड़ी परेशानी पीने के पानी की थी जिसे मैंने दुहरी पाइप लाइन बिछाकर सभी घरों में पानी पहुँचाया है। हमारी ग्राम पंचायत खिरहनी में नलजल योजना के अंतर्गत जब पाइप लाइन डाली गई थी तो पूरे ग्राम में पानी नही पहुँच रहा था। गर्मियों के दिनों में ज्यादा पानी का आकाल गर्मियों होता था क्योंकि कुंए में पानी तो बिल्कुल नही रहता था। गांव के हैंडपम्पों का जल स्तर भी नीचे जाने से बंद हो गए थे।

इस बीच केवल और केवल उम्मीद थी तो नलजल योजना का पानी जो कि पूरे ग्राम में नही पहुँचने का कारण था। पूरा ग्राम आधा किलो मीटर की दूरी पर बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में बसा हुआ था। जबकि पानी की टंकी हरिजन, आदिवासी, बस्ती के पहले हिस्से में बनी हुई थी जहाँ लगभग सभी वर्ग के लोगो की बसाहट थी और दोनों हिस्सो को पानी वितरण के लिए सिंगल पाइप लाइन डाली गई थी और पहले हिस्से को पर्याप्त पानी मिल रहा था क्योंकि जब तक टंकी में पानी रहता तो पहले हिस्से में लगातार पानी का दुरुपयोग लोग नही रोक रहे थे। जिससे दूसरे हिस्से को पानी नही हो पाता था और लोग सरपंच से मदद मांग रहे थे।

हमने पहले हिस्से के पानी का लगातार हो रहे कम से कम 100 कनेक्शन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए शुरू से लेकर दूसरे हिस्से तक दुहरी पाइप लाइन डाली गई और अब दूसरे हिस्से के हर घर तक बहुत आसानी से पानी पर्याप्त मात्रा में पहुँचने से पूरा ग्राम पानी के संकट से निकल चुका है।

ग्रामों के आवागमन और पानी की उचित निकासी

जब मैं 4 साल पहले सरपंची का चुनाव जीत कर आई तब हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में कच्ची सड़कें थी। ग्रामों के आवागमन और पानी की उचित निकासी के लिए चौदहवें वित्त आयोग से ग्राम पंचायत को प्राप्त

राशि से हमने कार्य कराये। ग्रामों की आन्तरिक सड़कें जो अधूरी रह गई थीं वहां पर सी.सी. रोड़ बनवाई। हमने अपने कार्यकाल में पौड़ी, भीटा, पोनिया, अचलोनी एवं छपरी में सीमेन्ट कांक्रीट रोड़ एवं नाली निर्माण कराया। रोड़ के साथ ही साथ पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण कार्य कराया। ग्रामों में सड़क और नाली बन जाने से गंदगी दूर हुई। पानी निकासी होने से बीमारियां कम हुई। अब हमारी ग्राम पंचायत में अच्छी साफ–सफाई रहने लगी।

शासन की जनकल्याणकारी योजना

शासन की जनकल्याणकारी योजना का सत्त लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत में इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, 60 से 79 वर्ष एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन, कल्याणी पेंशन का योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ दिलाया जाता है। इन योजनाओं से वर्तमान में लगभग 126 हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है।

ग्राम में सभी पेंशनधारी वृद्ध पुरुष, महिला के खाते बैंक में खुलवाए और उनकी पेंशन सीधे उन्हीं के खाते में हर महीने बड़ी आसानी से पहुँचने से सभी पेंशनधारी खुश हैं क्योंकि ग्राम में ही कियोस्क बैंक से तुरंत पेंशन मिलने लगी है जिससे सभी बुजुर्ग खुश हैं।

मुझे गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के लिए आंगनबाड़ी बुलाया जाता है और मुझे महिलाओं के दुख सुख और समस्याओ के सुनने का अवसर मिला।

मजदूर वर्ग में बहुत से लोगो को बच्चियों की शादी में विवाह सहायता राशि, मध्यप्रदेश भवन संनिर्माण मजदूर कार्ड के माध्यम से रू. 25000 की राशि दिलवाई हूँ। बहुत प्रयास के बाद मेरे ग्राम में पिछले मध्य वर्ष से विद्युत सब स्टेशन का कार्य पुर्ण कर विद्युत वितरण खिरहनी से प्रारंभ हो गई है। तालाब गहरीकरण करवा दिए गए हैं। वृक्षारोपण भी कराए गए हैं जिसमे मैंने स्वयं लगाए हैं।

संबल योजना

संबल योजना में लगभग 654 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। इस योजना से शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्त्येष्टि सहायता एवं सामान्य मृत्यु की दशा में रू. 2.00 लाख एवं दुर्घटना होने पर रू. 4.00 लाख की अनुग्रह राशि अपीलार्थी को दी जाती है। इसके अन्तर्गत हमने दो प्रकरण तैयार कर जनपद पंचायत पाटन जिला जबलपुर को भेजा है जो कि स्वीकृत होने पर उन्हें सहायता राशि मिल जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत हमारी ग्राम पंचायत में 29 आवास तैयार उन्हें घर की चाबी दे दी गई है। एससीसीसी डाटा 2011 में जो पात्र हितग्राही छूट गये थे 159 नामों की सूची स्वीकृति के भेजी गई है। स्वीकृत होने उनके लिए भी आवास बनवाये जावेंगे। वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि, अब तो हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ लेने के इंतजार में बैठे हैं उन्हें लाभ देना मेरे कार्यकाल का सबसे बड़ा और व्यक्तिगत लाभ होगा ,लगभग सभी को अपना अपना पीएमएवाय क्रमांक बता दी हूँ और 200 नाम नवीन पीएमएवाय लक्ष्य की सूची तैयार करवा दी हूँ।

मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी ग्राम पंचायत सभी क्षेत्रों में आगे रहे। मेरे ग्राम पंचायत के हरेक व्यक्ति निरोग रहे। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बच्चों के विकास पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ ग्राम पंचायत में अधोसरंचना का विकास काम भी चल रहा है। हमारी ग्राम पंचायत में जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं उनके पीछे हमारे सभी ग्राम सभा के सदस्यों, हमारे पंचों, स्व–सहायता समूह की दीदियों, आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्ता, सहायिका, शिक्षक साथी, हमारी ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, हमारी जनपद पंचायत, जिला पंचायत और सभी विभागों का सहयोग है। हमें उम्मीद है कि हम अपनी ग्राम पंचायत खिरहनी को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित कर पायेंगे।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

नशामुक्त समाज बनाने में पंचायतों की भूमिका

इस लेख में नशे के दुरूपयोग की समस्या के साथ ही साथ इस समस्या के निदान को शामिल किया गया है। इन प्रयासों में आपसी विचार–विमर्श करना बहुत जरूरी है यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से किये जाने की आवश्यकता है जिनमें जागरूकता कार्यक्रम/ क्षमतावर्धन कार्यशाला आदि गतिविधियां क्रियान्वित किया सकता है। लेख में हमने डाक्टर, सामाजिक कार्यकर्त्ता और पंचायतराज संस्थाओं के पदाधिकारियों के विचारों को भी सम्मिलित किया है। पंचायतराज संस्थाओं के प्रतिनिधि और शासकीय क्रियान्वयक नशामुक्ति की दिशा अपनी भूमिका अच्छे से कैसे निभाऐं यह लेख में दिया गया है।

नशे के दुरूपयोग की समस्या

समाज में नशे के दुरूपयोग की प्रवृत्ती के कारण बहुत से दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। यह प्रायः देखने मिलता है कि, नशा करने वाले व्यक्ति से उनके परिवार के सदस्य और आस–पास के लोगों को बहुत परेशानी होती है। नशेडी आदमी अपना तो नुकसान करता ही करता है साथ ही उनसे जुड़े अन्य लोगों को भी परेशानी में डालता है।

नशा के दुरूपयोग करने की आदत से नशेडी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सभी तरफ से बुरे परिणाम मिलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि, नशेडी व्यक्ति अपने आप को दोषी नहीं मानता, वह यह भी नहीं मानता कि, उसने कोई गलती की है और उसे कोई बीमारी लग गयी है। जैसे–जैसे नशे की बुरी तरह बढ़ती जाती है वैसे–वैसे नशेडी व्यक्ति में मठ्ठरपन भी आता जाता है।

बहुत से नशा करने की आदत में पड़े व्यक्यिों को जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि, एक तरफ तो नशेडी को कुछ सूझता नहीं है, उसे तो नशा करने में मजा आ रहा है वहीं दूसरी तरफ उसके संगी–साथी भी ऐसे मिल जाते हैं जो नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिये जाते हैं। कभी–कभी तो परिवार, समाज द्वारा नकार दिये जाने के कारण भी नशा करने वाला व्यक्ति और ज्यादा कुंठित हो जाता है। वह अपना ज्यादा से ज्यादा से समय अपने जैसे नशा करने वाले मिजारटी के लोगों के साथ बिताना चालू कर देता है। बहुत से नशा करने वाले लोग तो एकाकी जीवन जीने लगते हैं।

समस्या निदान के प्रयास

नशे के दुरूपयोग की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या से बड़ी संख्या में लोगों और परिवारों पर बुरा असर दिखाई दे रहा है। इस समस्या को दूर करने के गंभीर प्रयासों और परिणाममूलक बहुआयामी गतिविधियों की आवश्यकता है। इस समस्या के निदान की दिशा में केन्द्र व राज्य शासन, समाज की संस्थाएं व समाजसेवी अपने–अपने स्तर पर विभिन्न प्रयासों में जुटे हैं।

नशे की लत का शिकार बनने वाले व्यक्तियों को सुधारने के लिए परिवार और समाज में सुरक्षा का वातावरण होना जरूरी हो गया है। नशे के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए हमारे देश के संविधान में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं।

केन्द्र और राज्य शासन द्वारा भी बहुत से कार्यक्रम व योजनाऐं चलाई जा रहीं हैं। चिकित्सीय उपचार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। नशामुक्ति केन्द्र, परामर्श सेवाओं, जन–जागरूकता अभियानों इत्यादि के माध्यम से इस बुराई को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में केन्द्र व राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

जागरूकता कार्यक्रम/ क्षमतावर्धन कार्यशाला की आवश्यकता

नशे के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए संवैधानिक प्रावधानों, शासन द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं की जानकारी की कमी के चलते जो परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं उनसे नशे की इस विकराल समस्या का हल मिलने में बहुत अधिक इंतजार करना पड़ेगा किन्तु हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब तो नशे के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए मिशन मोड में कार्य करने की आवश्यकता है।

अभी समाज में लोगों को नशे के दुरूपयोग और उसकी रोकथाम विषय पर जानकारी का अभाव देखने मिलता है। नशे के दुरूपयोग से संबंधित जो भी प्रावधान बनाये गये हैं, जिन नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को लागू किया जा रहा है उनके संबंध में लोगों को बताया जावे। हमारे देश का अधिकांश क्षेत्र और आबादी ग्रामीण इलाकों में रह रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के द्वारा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

पंचायत राज व्यवस्था से जुड़े कार्यान्वयन अधिकारियों और पंचायत के पदाधिकारियों को नशे के दुरूपयोग की रोकथाम विषय पर जानकारी देने की आवश्यकता है। जिससे वे स्वयं जानकारी लेकर अपने कार्यक्षेत्र में इन जानकारियों का उपयोग समाज की भलाई के अच्छे से कर सकते हैं।

इस दिशा में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र. जबलपुर द्वारा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एन.आई.एस.डी.) नई दिल्ली के सहयोग से ''पंचायत राज व्यवस्था के कार्यान्वयकों के लिए ''नशीले पदार्थो के दुरूपयोग की रोकथाम'' (Drug Abuse Prevention) विषय कार्यशालाऐं आयोजित की गई थी। पंचायतराज पदाधिकारी एवं शासकीय अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यशाला के दौरान नशे की समस्या और इससे मुक्ति पाने के प्रयासों पर चर्चा में बहुत जरूरी बातें सामने आयीं जो नीचे लिखी हैं।

नशामुक्ति के लिए डाक्टरों की सलाह

नशा करने वाले लोगों के लिए मेडीकल सांइस में दवाईयों का विकल्प दिया गया है ऐसा डॉ. ओमप्रकाश रायचंदानी, असिस्टेंट प्रोफेसेर, मनोचिकित्सा विभाग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडीकल कॉलेज एवं हास्पिटल, तिलवारा रोड़, जबलपुर कहते हैं। वे बताते हैं कि डाक्टरों द्वारा नशा करने वाले व्यक्ति को दवाईयों के बारे में बताया जाता है। नशे की लत जिन लोगों को ज्यादा लग जाती है तब डाक्टर उनके परिवार के सदस्यों को भी समझाईश देते हैं कि नशा करने वाले व्यक्यिों को ऐसा माहौल दिया जावे कि वे नशे का सेवन कम से कम करें और धीरे–धीरे वे नशा छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जितने दिन वे नशे का सेवन नहीं करते हैं उन दिनों पर ध्यानपूर्वक नशा करने वाले व्यक्यिों को और ज्यादा प्रेरित किया जा सकता है। डाक्टर यह भी बताते हैं कि, नशे का दुरूपयोग करने वाले व्यक्यिों को दवाईयों के साथ ही साथ मोटीवेशन की आवश्यकता होती है। अगर परिवार और समाज के लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो नशा करने आदत छुड़वाने के सफल प्रयास किये जा सकते हैं।

नशा कोई बीमारी नहीं यह तो अपनी–अपनी सोच की बात है

नशा को बीमारी नहीं मानेते हुये इसे मानसिकता का मुद्दा मानने वाले श्री हेमंत सोलंकी, संचालक, नव ज्योती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र, अवधपुरी कालोनी, ग्वारीघाट रोड़, जबलपुर इस संबंध में बताते हैं कि, नशा मुक्ती के लिए ''नशामुक्ति केन्द्र'' की मदद ली जा सकती है। वहां पर नशे की लत से प्रभावित लोगों को जहां एक तरफ उपचार दिया जाता है वहीं दूसरी ओर उन्हें अच्छे वातावरण में रखने का प्रयास होता है। हॉ एक बात ओर देखने मिलती है कि, नशा मुक्ति केन्द्र से वापिस जाने के बाद नशे से प्रभावित रोगी को अगर परिवार और समाज में अच्छा, सकारात्मक वातावरण दिया जावे जो वह दोबारा नशे के दुरूपयोग के प्रति आसक्त नहीं नशामुक्ति के लिए किये जाने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पंचायतों की सहभागिता की आवश्यकता है।

नशामुक्ति के लिए वैधानिक प्रावधान

एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985, ड्रग हेल्प लाईन टोल फ्री अधिनियम में चरस, गांजा, कैनेबिस का पौधा, कोकीन, अफीम के प्रतिबन्धों संबंधी प्रावधान दिये गये हैं। औषधी के दुरूपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि की स्थापना की गई है ताकि नशे के दुरूपयोग की रोकथाम की गतिविधियों को क्रियान्वित कराया जा सके। इस एक्ट में विभिन्न पदार्थो के उत्पादन एवं बिक्रय के लिए अनुज्ञा देने के नियम दिये गये हैं। प्रावधानों के विरूद्ध कार्य करने वाले लोगों पर की जाने वाली दाण्डिक प्रक्रिया भी बनाई गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण में पंचायतराज संस्थाओं के कार्यान्वयकों की भूमिका

अपनी पंचायत में छोटे–छोटे प्रयास करके हम नशा मुक्ति की दिशा में बड़े सकारात्मक प्रभाव और परिणाम दिलाने वाले कार्य कर सकते हैं ऐसा मानना है, श्री मनोज सिंह (उपायुक्त विकास) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जबलपुर का। वे इस संबंध में कहते हैं कि नशामुक्ति के लिए पंचायत भवन और परिसर में

प्रेरेक सद्वाक्य को लिखवायें। भवन की दीवारें और परिसर स्वच्छ रहे। वहां पर आने वाले लोगों को धूम्रपान करने, पान, गुटका चबा कर थूकंने के लिए कोई स्थल उपलब्ध न रहे। परिसर और भवन में सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के माध्यम से इस दिशा में मॉनीटरिंग की जा सकती है। पंचायत क्षेत्र में नशामुक्ति के लिए हमारे पास में योजना होनी चाहिए। इस योजना को ग्राम सभा एवं पंचायत से अनुमोदित करवा कर उन गतिविधियों को कियान्वित कराया जावे। ग्राम पंचायत की विकास योजना में नशामुक्ति संबंधी कार्य भी सम्मिलित किये जावें। ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा नशे की लत में पड़े लोगों को, उनके परिवारों को परामर्श देने के लिए गृह भेंट के कार्यक्रम बनाये जा सकते हैं।

नशामुक्ति के लिए प्रतिभागियों के सुझाव

प्रतिभागियों ने अपने विचार देते हुये बताया कि पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाये जाने चाहिए। प्राथमिक शालाओं से ही नशे के दुरूपयोग और रोकथाम विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना जरूरी है। प्रतिभागियों का तो यह भी कहना था कि सरकारी एवं देशी शराब दुकानें बंद ही करवा देना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर नशामुक्ति रोकथाम जागरूकता प्रयासों और गतिविधियों के लिए कुछ राशि शासन से उपलब्ध कराने से इन प्रयासों को गति मिलेगी। ग्राम एवं ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली ग्राम सभाओं में नशे के दुरूपयोग से होने वाली हानियों और नशे से मुक्ति के उपचार विषय को स्थाई और प्रथम एजेण्डा में रखा जावे। नशा करने वाले परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ न दिया जावे। नशा छोड़ने

के उपरान्त पुनः शासन की योजनाओं से लाभ जैसे राशन कार्ड, पेन्सन स्कीम आदि से जोड़ा जावे। नशीले पदार्थो की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, बच्चों की टोली, आगंनवाड़ी केन्द्रों, आम सभाओं, मित्र मंडली में रोकथाम के उपाय किये जावें। ग्राम पंचायत स्तर पर नशाबंदी लागू करने हेतु महिलाओं की समिति का गठन किया जावे।

सार की बात

सोचने वाली बात ये कि नशे की लत किसी व्यक्ति को कैसे लग जाती है। इसके मूल में जब हम जायेंगे तो मजा आना और तनाव ये दो कारण समझ में आते हैं। अब किसी को नशे की लत लग ही गई हो तो ऐसे नशेड़ी व्यक्तियों को नशे के बुरे परिणामों से कैसे से बचाया जा सकता है। अब इस पर तीन मोटी–मोटी बातें दिखाई देती हैं पहली बात तो डाक्टरी इलाज, दूसरी बात वातावरण निर्माण और तीसरी बात कानूनी कार्रवाही।

डाक्टरी इलाज, वातावरण निर्माण और कानूनी कार्रवाही इन तीनों क्षेत्र में तो प्रयास किये ही जा रहे हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद समाज में नशे की लत के शिकार लोगों की तादात् अभी भी अच्छी–खासी है। नशामुक्ति की दिशा में हमारी पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठकों में इस मुद्दे पर विचार–विमर्श किये जाने के साथ ही ग्राम पंचायत की अपनी ''नशामुक्ति की योजना'' बनाई जावे। कई बार योजना अच्छी बनाने के बाद धनराशि के अभाव से उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो योजना ऐसी बने जिसमें खर्चा नहीं के बराबर हो। जो भी नशामुक्ति की योजना बने उसे ग्रामवासियो और पंचायत के पदाधिकारियों के साथ ही साथ गांव के स्व–सहायता समूह, युवाओं की टोली, विद्यालय में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों, गांव में चल रहे शासकीय, सामाजिक, निजी संस्थान का सहयोग लिया जावे तब हम नशा जैसी विकराल समस्या से निजाद पा सकेंगे।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य